दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 14.08.2024

<u>नि.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 67/2022</u>

दलजीत सिंह भाटिया .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री बृजेश शर्मा, अधिवक्ता

बनाम

मेसर्स करमसार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. .....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[भौतिक (प्रत्यक्ष) सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

<u>न्या. श्री राजीव शकधर (मौखिक)</u>

1. यह अपील दिनांक 09.06.2022 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 [संक्षेप में, "सीपीसी") के आदेश XXXVII नियम 3 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. परिणामस्वरूप, आवेदन खारिज होने पर, विचारण न्यायालय ने 3,80,950/- रुपए के लिए प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में वाद की डिक्री दी।

2.1 इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/वादी को 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देने का आदेश दिया है, जो वाद शुरू होने की तारीख यानी 06.06.2018 से शुरू होकर डिक्री पारित होने की तारीख तक होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी/वादी को जुर्माने के भुगतान का भी आदेश दिया गया।

3. प्रत्यर्थी/वादी ने निम्नलिखित व्यापक तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त वाद दायर किया:

3.1 यह अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी/वादी ने विषयगत माल अपीलार्थी/प्रतिवादी को बेचा। विषयगत वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक सामान और स्पीकर, एम्प्लीफायर, सीसीटीवी कैमरे आदि जैसे उपकरण शामिल थे। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा आपूर्ति किये गये माल नौ (09) इनवॉइस का विषय थे। ये

इनवॉइस 10.03.2018 से 30.03.2018 के बीच की अवधि के हैं। 31.03.2018 तक इन वस्तुओं का संचयी मूल्य 6,49,750.36 रुपये आंका गया।

3.2 इसके अलावा, प्रत्यर्थी/वादी द्वारा स्थापित मामला यह था कि उपर्युक्त नौ (09) इनवॉइस के लिए अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा कुछ भुगतान किए गए थे, जिनमें से 09.04.2018 तक बकाया राशि 4,24,750.36 रुपये थी।

3.3 उपर्युक्त बकाया राशि के विरुद्ध, प्रत्यर्थी/वादी को दिनांक 11.04.2018 को कर्नाटक बैंक लिमिटेड पर आहरित चेक संख्या 760491 प्राप्त हुआ, जिसकी राशि 4,25,950/- रुपये थी, जिसमें अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अतीत में जारी किए गए दो (02) अनादरित चेकों के संबंध में प्रत्यर्थी/वादी के बैंकर द्वारा लगाए गए शुल्क के रूप में 1200/- रुपये शामिल थे।

3.4 निःसंदेह, प्रत्यर्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया उपरोक्त चेक, संख्या 760491, भी अनादरित हुआ। प्रत्यर्थी/वादी को अपने बैंकर यानी कोटक महिंद्रा बैंक [चाँदनी चौक शाखा, दिल्ली] से दिनांक 18.04.2018 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसमें चेक के अनादर होने का कारण "अपर्याप्त धनराशि" बताया गया था।

3.5. स्पष्टतः, अपीलार्थी/प्रतिवादी ने सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने के स्थान पर उसी तिथि अर्थात् 18.04.2018 को आरटीजीएस के माध्यम से प्रत्यर्थी/वादी को 45,000/- रुपये भेज दिए।

3.6 परिणामस्वरूप, बकाया ऋण, जिसे अपीलार्थी/प्रतिवादी को चुकाना था, घटाकर 3,80,950/- रुपए कर दिया गया।

3.7. इस प्रकार, प्रत्यर्थी/वादी ने 3,80,950/- रुपए के लिए संक्षिप्त वाद दायर किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी/वादी द्वारा 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी दावा किया गया।

4. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि प्रत्यर्थी/वादी ने 27.04.2018 को एक विधिक नोटिस जारी किया था, जिसमें अपीलार्थी/प्रतिवादी को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 3,80,950/- रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। चूंकि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने ऋण का भुगतान नहीं किया, इसलिए प्रत्यर्थी/वादी ने वाद दायर करने की कार्रवाई का सहारा लिया।

5. गौरतलब है कि दिनांक 11.04.2018 को चेक जारी करने से पहले, अपीलार्थी/प्रतिवादी ने चेक जारी किए थे, जिन्हें प्रत्यर्थी/वादी ने 11.04.2018 को 4,25,950/- रुपये का नया चेक प्राप्त होने पर वापस कर दिया था।

6. वाद में सम्मन जारी होने पर, अपीलार्थी/प्रतिवादी ने उपस्थिति दर्ज कराने तथा बचाव हेतु अनुमति मांगने के लिए उपर्युक्त आवेदन प्रस्तुत किया। जैसा कि

शुरू में देखा गया, आवेदन को विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.06.2022 के निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

7. अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बृजेश शर्मा का कहना है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विचारणीय मुद्दे विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए गए हैं। श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया है कि इसलिए बचाव की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

7.1 अपनी दलील के समर्थन में, श्री शर्मा निम्नलिखित प्रस्तुतियां देते हैं:

(i) दिनांक 11.04.2018 को जारी 4,25,950/- रूपये के चेक पर प्रारम्भ में यह राशि अंकित नहीं थी। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी/वादी को प्रतिभूति के लिए एक खाली चेक दिया गया था।

(ii) चूंकि धनराशि नकद में दी गई थी, इसलिए प्रत्यर्थी/वादी ने चेक वापस कर दिए थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

चेक सं.	**दिनाँक**	**राशि (रू.)**
760459	19.03.2018	33,018/-
760456	19.03.2018	64,779/-
760477	28.03.2018	40,643/-
760476	27.03.2018	60,000/-
760478	31.03.2018	60,000/-
760479	31.03.2018	49,238/-

760480	01.04.2018	60,000/-
कुल		**3,67,648/-**

8. इस प्रकार, अपीलार्थी/प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति का मुख्य आधार यह है कि चूंकि धनराशि नकद में दी गई थी, इसलिए मूल चेक वापस कर दिए गए, यद्यपि वे अनादरित हो गए और इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई।.

9. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बात सुनी है।

10. दुर्भाग्यवश, प्रत्यर्थी/वादी की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

11. हमारे विचार में, अपीलार्थी/प्रतिवादी ने एक दिखावटी बचाव प्रस्तुत किया है जो कि धोखाधड़ी के समान है।

12. स्पष्ट रूप से, इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने ऊपर उल्लिखित सात (07) चेक सौंपे थे, जो दिनांक 11.04.2018 से पूर्व दिनांकित चेक थे तथा अनादरित हो गए थे। दिनांक 11.04.2018 का चेक, इस प्रकार, उन सात (07) चेकों के बदले जारी किया गया था, जिन्हें प्रत्यर्थी/वादी ने तब वापस कर दिया था।

13. यह तथ्य कि बकाया राशि का एक हिस्सा अर्थात 45000 रुपये [जैसा कि ऊपर बताया गया है] अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा चुकाया जा चुका है, विवादित नहीं है।

14. जहां तक अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रत्यर्थी/वादी को दिए गए अनिर्धारित ऋण का सवाल है, वह स्पष्ट रूप से दिनांक 11.04.2018 के नए चेक में परिलक्षित था। यह स्पष्टीकरण कि दिनांक 11.04.2018 का चेक प्रतिभूति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि इस तरह के बैंकिंग उपकरण, यदि पेश किए जाते हैं, तो उनमें हमेशा एक विशेष राशि शामिल होती है और कोई खाली जगह नहीं होती है जिससे लेनदार अपने अनुसार राशि दर्ज कर सके। इस तरह के बचाव केवल लेनदार को परेशान करने के लिए किए जाते हैं और इसलिए इन्हें शुरू से ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

15. इसलिए, उपरोक्त कारणों को देखते हुए, हमें आक्षेपित निर्णय और डिक्री में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

16. दिनांक 22.09.2022 का अंतरिम आदेश समाप्त हो जाएगा।

17. अपील खारिज की जाती है। जुर्माना परिणाम के अनुरूप होगा।

न्या. राजीव शकधर

न्या. अमित बंसल

14 अगस्त, 2024/पीएमसी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*